

संयुक्त सचिव।  
(लोक निर्माण विभाग)

*[Signature]*

8. गाड़ फाड़ल।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
6. सम्बन्धित अधिकांसी अभियंता।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-  
संख्या 1158(21)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको)  
अपर सचिव।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कथमसिंह नगर को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

सं. क्र.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री पी0एस0 बिष्ट	प्रान्तीय खण्ड, कदपुर	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी
2		3	4

निम्नलिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।  
एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख ऑफिस कॉलम-4 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यालय में

कार्यालय शाप  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
संख्या : 1158(21)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
लोक निर्माण अग्रभाग-1  
उत्तराखण्ड शासन

मुख्य अधिकारी  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून  
27/5/14  
C.E (Hd)/E.E.I

27/5/14  
E.E.I

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)

8. गाड़ काईल।
  7. सम्बन्धित अधिकायी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

संख्या 1158(25)/III(1)/14-46(आधि)/09, टी.सी. महविनांक

(अरविन्द सिंह दयौकी)  
अपर सचिव।

पूर्ववत स्थान पर यथावत बनाये रखा जाता है।  
आ। उपरोक्त कार्यालय जाए दिनांक 24 मई, 2014 को निरस्त करते हुए श्री बन्देश्वर पाण्डेय को निर्माण विभाग, हल्द्वानी का स्थानान्तरण नव सृजित पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, धारदूला में किया गया दिनांक 24 मई, 2014 के द्वारा श्री श्री बन्देश्वर पाण्डेय, सहायक अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय जाए संख्या 1135/14-46(आधि)/09 टी.सी.-बी

#### कार्यालय जाए

देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
संख्या 1158(25)/III(1)/14-46(आधि)/09, टी.सी.  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
उत्तराखण्ड शासन

ए.एस.एस. ऑफिसर  
ए.एस.एस. ऑफिसर

88  
C.E (CHD)/E.E.I

8ms  
03/06/14

संयुक्त सचिव।  
(लोक निर्माण विभाग)  
*[Signature]*

8. गार्ड फाईल।
  7. सम्बन्धित अधिकाधी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिकाधी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या: 1158(222)/III(1)/14-46(आधो)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह हथौकी)  
अपर सचिव।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
3. सम्बन्धित निचक अधिकाधी स्थानान्तरित अधिकाधी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकाधी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री टी०सी० पाण्डे	सिडकूल यूनिट पत्तनगर से	सम्बद्ध निर्माण खण्ड, हल्द्वानी
2		3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यहित से स्थानान्तरित करने हेतु तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में सुनिश्चित रूप से तैनात किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या: 1158(222)/III(1)/14-46(आधो)/09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
कार्यालय भाप

*[Handwritten notes and signatures]*  
2.2 C.H.O./E.C.E

03/06/14  
Smt

संयुक्त सचिव।  
(लाल मोहन आर्य)

*[Handwritten Signature]*

8. गार्ड फाईल।
7. संबंधित अधिकांशी (नाम से)।
6. संबंधित अधिकांशी अभियंता।
5. संबंधित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या 158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको)  
अपर सचिव।

1. संबंधित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यवाही करें।
3. संबंधित अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. प्रभाषी अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप संबंधित कार्मिक को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री सत्यनंद शर्मा प्रभाषी अधीक्षण अभियंता	ए0डी0बी0, वृत्त लोक निर्माण विभाग टिहरी	ल0नि0वि0, मुख्यालय, देहरादून प्रभाषी मुख्य अभियंता स्तर-2,

उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।  
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभाषी अधीक्षण अभियंता के विभागीय कार्यक्षेत्र में कार्यवाही कराए जाएंगे।

**कार्यालय डाय**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

मुख्य सचिव  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून  
158/III(1)/14-46(अधि0)/09

03/06/14  
Sms

संयुक्त सचिव।  
(लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड)

8. गाड़ फाड़ल।
  7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

संख्या: 1158/III(1)/14-46(आबि0)/09, टी.सी. तददिनांक

अपर सचिव।  
(अपर सचिव)

- अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।
5. प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर-2 के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को कोई योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
  4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय करें।
  3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे।
  2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री हरिधाम शर्मा, प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर-2, मुख्यालय।	लोक निर्माण विभाग, प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर-2, लो0नि0वि0, देहरादून।	

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर-2 के विभागीय कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित संख्या: 1158/III(1)/14-46(आबि0)/09, टी.सी. तददिनांक 27 मई, 2014

कार्यालय शाप

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या: 1158/III(1)/14-46(आबि0)/09, टी.सी. तददिनांक 27 मई, 2014

1158/III(1)/14-46(आबि0)/09, टी.सी. तददिनांक 27 मई, 2014

3/6/14

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  
*[Signature]*

8. गार्ड फाईल।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अधिकारी स्तर-1/मुख्य अधिकारी स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या: 1158(2011)/III(1)/14-46(अधिन)/09, टी.सी. तददिनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको)  
अपर सचिव।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, काशीपुर को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
3. सम्बन्धित निवृत्त अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रविष्टि किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।


क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री मोहन चन्द शर्मा	निर्माण खण्ड, काशीपुर	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी
2		3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अधिकारी के विभागीय कार्यक्षेत्र में कार्यवाही के लिए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में निम्नलिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अग्रभाग-1  
संख्या: 1158(2011)/III(1)/14-46(अधिन)/09, टी.सी.  
देहरादून: दिनांक 27 मई, 2014  
कार्यालय डाय

प्रमाणित  
C.E (Hd) / 3.32  
*[Signature]*

03/06/14  
Sms

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  


8. गार्ड फाईल।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
6. सम्बन्धित अधिवासी अभियंता।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. ✓ प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या: 1158(19)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको)  
अपर सचिव।

5. प्रभाषी सहायक अभियंता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को कोई अतिरिक्त योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरेद्वानी को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री अमृत्यु वालिया, प्रभाषी सहायक अभियंता	निर्माण खण्ड, हरेद्वानी	पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड, धारवृत्ला
2		3	4

एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभाषी सहायक अभियंता के विभागीय कार्यक्षेत्र में

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या: 1158(19)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून: दिनांक 27 मई, 2014  
कार्यालय भाग

प्र. सं. 1158(19)  
दिनांक 27 मई, 2014  
C.E (1158)/14.37

03/06/14  
Sur

(लोक निर्माण विभाग)  
संयुक्त सचिव।

*[Handwritten Signature]*

8. गाड़ फाईल।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अधिकारी स्तर-1/मुख्य अधिकारी स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

संख्या : 1158/187/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तर्हिनांक

(अखिल सिंह देयाँकी)  
आपर सचिव।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, प्लानिंग को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिलिपि किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री रमेश चन्द पन्त, सहायक अभियन्ता	पी.एम.जी.एस.वाड, खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, हरद्वारी धारवाला	

उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुच्चय ऑफिस कोलम-4 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अधिकारी के विभागीय कार्यभार में

कार्यालय कोष

देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

संख्या : 1158/187/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.

लोक निर्माण अनुभाग-1

उत्तराखण्ड शासन


लोक निर्माण विभाग  
कोषाधिकारी

*[Handwritten Signature]*

1158/187/III(1)/14-46(अधि0)/09

03/06/14  
Sms



संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  


8. गाड़ फाड़ल।
  7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या 1158-17/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तद्विनिक


(अरविन्द सिंह देयाँकी)  
अपर सचिव।

5. सम्बन्धित अधिकारी को प्रभावी अधिशासी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई आतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार संभालना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

सं. क्र.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री नवीन चन्द जोशी, प्रभावी अधिशासी अभियंता	निर्माण खण्ड, ए.डी.बी., प्रभावी अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय पिथौरागढ़।	खण्ड, पिथौरागढ़।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियंता/प्रभावी अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख शक्ति कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अन्वयण-1  
संख्या 1158-17/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

प्रभावी अधिशासी अभियंता  
ल.ए. (अधि) / ए.ए.ए.ए.  


8ms  
03/05/14

संयुक्त सचिव।  
(नितिन मदन आर्थ)

*(Signature)*

8. गाई फाईल।
7. सम्बन्धित अधिकांशी (नाम से)।
6. सम्बन्धित अधिकांशी अभियंता।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

संख्या 1158(16) / III(1) / 14-46(अधि0) / 09, टी.सी. नदरिनाक

(अरविन्द सिंह द्वारा की) अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकांशी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकांशी स्थानान्तरित अधिकांशी को तत्काल कार्याभ्युपेक्षित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, यामनगर को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकांशी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. सम्बन्धित अधिकांशी को प्रभांशी अधिकांशी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

सं. क्र. को.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	प्रभांशी अधिकांशी अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, पोखरी
1	2	3	4
1	श्री मदन राम आर्थ, निर्माण खण्ड, यामनगर	प्रभांशी अधिकांशी अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, पोखरी	श्री मदन राम आर्थ, निर्माण खण्ड, यामनगर

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यालय में प्रतिलिपि स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में सुनिश्चित स्थान पर तैनात किया जाता है।

**कार्यालय ड्राप**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अर्जुमग-1  
संख्या 1158(16) / III(1) / 14-46(अधि0) / 09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

*(Signature)*  
L.E (HSE)/L.E.I

03/08/14  
Sur

संयुक्त सचिव।  
(ललित-गहन आर्थ)

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या 158(15)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको)  
अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिलिपि लिए विना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री मूलचन्द गुप्ता, अधिशासी अभियंता	ए.डी.बी. खण्ड, उत्तरकाशी	ए.डी.बी. आपदा खण्ड, पिथौरागढ़।
1	2	3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यहिन में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

कार्यालय शाप

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 158(15)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

प्रतिलिपि भिजवायी  
लोक निर्माण विभाग  
27/5/14  
23/5/14

27/5/14

संयुक्त सचिव।  
(अखिल मोहन आर्य)  
*[Signature]*

8. गार्ड फाईल।
  7. सम्बन्धित अधिकाधी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या 1158(13)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अखिल सिंह देयाँकी)  
अपर सचिव।

भारत सं ग्यावत बनाये रखा जाता है।  
2014 को निरस्त करते हुए श्री नारायण सिंह खलिया को पूर्ववत स्थान अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि. का स्थानान्तरण ए.डी.बी. खण्ड, टिहरी से किया गया था। उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मई, दिनांक 27 मई, 2014 के द्वारा श्री नारायण सिंह खलिया, अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, भारत लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1167/14-46(अधि.)/09 टी.सी.

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 1158(13)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

मुख्य अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
*[Signature]*  
1158(13)/III(1)/14-46(अधि0)/09

11/08/14  
mm

संयुक्त साधिव।  
(ललित मोहन आर्य)  
15/5/14

8. गाई फाईल।
7. सम्बन्धित अधिकांशी (नाम से)।
6. सम्बन्धित अधिकांशी अभियंता।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख साधिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

संख्या 158(14)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको) अपर साधिव।

2. सम्बन्धित अधिकांशी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिष्ठा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकांशी स्थानान्तरित अधिकांशी को तत्काल कार्याभ्युक्त करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकांशी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. सम्बन्धित अधिकांशी को प्रभांशी अधिकांशी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री दिनेश प्रसाद आर्य, सहायक अभियंता	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	प्रभांशी अधिकांशी अभियंता, निर्माण खण्ड, ए.डी.बी., पिथौरागढ़।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख आंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

**कार्यालय ड्राप**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अग्रभाग-1  
संख्या 158-14/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

158(14)/III(1)/14-46(अधि0)/09  
15/5/14

03/06/14  
Sms

संयुक्त सचिव।  
(नितिन मोहन आर्य)  
*[Signature]*

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

संख्या 15812/III(1)/14-46(आि0)/09, टी.सी. तद्विनांक  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(अतिरिक्त सिंह हवाईकी)  
अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्पर्धी की प्रतियोगिता का निर्देशन देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री शंकर राम, अधिशासी अभियंता	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़।	ए.डी.बी. (आपदा) खण्ड, टिहरी।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यक्षेत्र में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कोलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

**कार्यालय डाय**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अन्वेषण-1  
संख्या 15812/III(1)/14-46(आि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 29 मई, 2014

प्रतिनिधि सं. सं. सं. सं. सं.  
15812/III(1)/14-46(आि0)/09  
23/05/14

23/05/14

संयुक्त सचिव।  
(अतिरिक्त मानद आर्थ)

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक काव्यावली हेतु प्रेषित-  
संख्या 1158-(11)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अतिरिक्त सिंच इयाँकी)  
अपर सचिव।

1. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, इन्स्टीट्यूट ऑफ काव्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आरक्षण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल काव्यपूर्वक करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री संजय कुमार पाण्डेय, अधिशासी अभियंता	पी.एम.जी.एस.वाई.काठगोदाम	वल्ड बैक खण्ड, मुनस्वारी
2		3	4

एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुच्च अंकित कॉलम-4 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यहित में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 1158(11)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
काव्यालय भाग

प्राप्त को.नि.वि.सं. 27/5  
23/5/14

03/06/14  
Sms

संयुक्त सचिव।  
(ललिताना महान आर्य)  
*Shrestha*

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गाई फाईल।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अहि0)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह दयाँकी)  
अपर सचिव।

1. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित निदेशक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नई दिल्ली को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

सं. क्र.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री दिनेश कुमार, प्रभासी अधिशासी अभियंता	अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.	प्रभासी अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लैसडालन।
2		3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभासी अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में सुनिश्चित स्थान पर तैनात किया जाता है।

कार्यालय आप

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अभाग-1  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अहि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून  
11/5/14  
L.E (H.O) 11/5/14

Sum  
03/06/14



संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  
*[Signature]*

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गाई फाईल।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
संख्या 1158-10/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह हयांकी)  
अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, प्यारोगाढ़ को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	1. श्री जीवन सिंह हयांकी, अधिशासी अभियंता	वर्ल्ड बैंक खण्ड मुनस्वारी	पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, काठवादास - 4
2		3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यहित से एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख आंकल कोलम-4 में निम्नलिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

**कार्यालय झाप**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 1158(10)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

ललित मोहन आर्य  
सचिव

C.E (H.O)/L.E.I

03/06/14  
Smt

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन शर्मा)  
*[Signature]*

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. माई फाईल।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या 1158 (2) / III (1) / 14-46 (अधि0) / 09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह द्वारा की)  
अपर सचिव।

1. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतियां किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यवाही करें।
3. सम्बन्धित निबंधक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार संनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ को कार्यवाही आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. सम्बन्धित अधिकारी को प्रभासी अधिशासी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते नहीं होंगे।

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री सतवीर सिंह, प्रभासी अधिशासी अभियंता	ए.डी.बी. आपदा खण्ड, पिथौरागढ़।	प्रभासी अधिशासी अभियंता, ए.डी.बी. खण्ड, उत्तरकाशी।
2		3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभासी अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यवाही से एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख आंकल कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

**कार्यालय ड्राफ्ट**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 1158 (2) / III (1) / 14-46 (अधि0) / 09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

प्रमुख अधिकारी  
लोक निर्माण विभाग  
सं. सं.  
27/5/14  
C.E (M)/431

8ms  
03/06/14

संयुक्त सचिव।  
(नवित्त मंत्रालय)

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सहाय्यत जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सहाय्यत मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सहाय्यत अधिशासी अभियंता।
7. सहाय्यत अधिकाारी (नाम से)।
8. गाई फाईल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या: 1152/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह देवाँकी)  
अपर सचिव।

2. सहाय्यत अधिकाारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्पर्धी की प्रतियोगिता किए बिना यागदान देना सुनिश्चित करें।
3. सहाय्यत नियंत्रक अधिकाारी स्थानान्तरित अधिकाारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
4. सहाय्यत वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लेखाकर्म/देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सहाय्यत अधिकाारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय यागदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. सहाय्यत अधिकाारी को प्रभावी अधिशासी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री दीपक कुमार प्रभावी अधिशासी अभियंता	प्रान्तीय खण्ड, लेखाकर्म।	प्रभावी अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-2(ए.डी.बी.), देहरादून।


लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभावी अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यभार पर एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित क्रम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या: 1152/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून: दिनांक 27 मई, 2014

कार्यालय आप

Sms  
03/06/14

L.E (H) / 1152

संयुक्त सचिव।  
(अखिल मंडल आय)  


1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अखिल सिंह देवाँकी)  
अपर सचिव।

1. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लैसडवन/देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आधार से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय यागदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
2. सम्बन्धित अधिकारी को प्रभारी अधिशासी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते नहीं होंगे।
3. सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल कार्यालय करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिलिपि किण्व विना यागदान देना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री बन्देश्वर कोशिक प्रभारी अधिशासी अभियंता	निर्माण खण्ड-2 (ए.डी.बी.), देहरादून।	विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यक्षेत्र में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में स्थान परिवर्तन सुनिश्चित किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
कार्यालय आय

प्रमाणित  
03/06/14  
1158/III(1)/14-46(अधि0)/09

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  
*[Signature]*

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षक अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह श्यांकी)  
अपर सचिव।

1. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतियाँ किए बिना यागदान देना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय यागदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. प्रभाषी अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री बन्धुशेखर भट्ट, प्रभाषी अधीक्षण अभियंता	प्रभाषी अधीक्षण अभियंता, प्रभाषी अधीक्षण अभियंता, सिलवटिया	वर्ल्ड बैंक वृत्त लोक निर्माण विभाग टिहरी। वृत्त, बम्बाल।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभाषी अधीक्षण अभियंता के विभागीय कार्यभार में एकद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में सम्बन्धित स्थान पर तैनात किया जाता है।

#### कार्यालय ड्राफ्ट

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अगुथाना-1  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

03/06/14  
8ms

मुख्य अधीक्षण अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून  
27/5/14

संयुक्त सचिव।  
(नविन नदी/आय)  
158/2

8. गार्ड फाईल।
  7. सम्बन्धित अधिकांसी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिकांसी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

संख्या 158/2/III(1)/14-46(आय)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अतिरिक्त सिंह हवाईकी)  
अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकांसी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकांसी स्थानान्तरित अधिकांसी का तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. प्रभावी अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री आर०के० जैन, ए०डी०बी०, (आपदा) खण्ड	लोक निर्माण विभाग टिहरी।	वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
	अधिकांसी अभियंता		प्रभावी अधीक्षण अभियंता, ए०डी०बी.

एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभावी अधीक्षण अभियंता के विभागीय कार्यभार में

कार्यालय डाय

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 158/2/III(1)/14-46(आय)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

प्रमुख अधीक्षण वि.  
टी.सी. वि. वि.

158/2/III(1)/14-46(आय)/09

03/06/14  
2014

संयुक्त सचिव।  
(नितिन मोहन आर्थ)

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गाई फाईल।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कायदाही हेतु प्रेषित-

संख्या 1158/III(1)/14-46(अधि)/09, टी.सी. तददिनांक

(अवलोकित सिंह हथौकी)  
अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कायदापूर्वक करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बम्बाल को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. प्रभाषी अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कॉन्ट्रैक्ट को कोई आतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री एस0एस0 यादव, सिविल इंजीनियर, प्रभाषी अधीक्षण अभियंता, वल्लू बैक	प्रभाषी अधीक्षण अभियंता, बम्बाल।	वृत्त लोक निर्माण विभाग टिहरी।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभाषी अधीक्षण अभियंता के विभागीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारी स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग पर तैनात किया जाता है।

#### कार्यालय शासन

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अर्गुमान-1  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अधि)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

03/06/14  
3ms

(ललित भाहन आर्य)  
संयुक्त सचिव।

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सहाय्यक अभियंता/कोषाधिकारी।
5. सहाय्यक मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सहाय्यक अभियंता/कोषाधिकारी।
7. सहाय्यक अभियंता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संयुक्त एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या 1158(23)/III(1)/14-46(आबि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अरविन्द सिंह हथौकी)  
अपर सचिव।

2. सहाय्यक अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सहाय्यक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
4. सहाय्यक वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. प्रभारी सहायक अभियंता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सहाय्यक अधिकारी को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री महेश चन्द पाण्डे	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट	निर्माण खण्ड, काशीपुर

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी सहायक अभियंता के विभागीय कार्यभार में स्थानान्तरित करके हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
संख्या : 1158(23)/III(1)/14-46(आबि0)/09, टी.सी.

C.E (MRO)/E.E.I  
3/06/14



03/06/14  
3m

1198/III(1)/14-46(अध0)/09, टी.सी. तद्विनोक

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या : 1198/III(1)/14-46(अध0)/09, टी.सी.

देहरादून : दिनांक 02 जून, 2014

कार्यालय द्वारा

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकांसी अभियंता के विभागीय कार्यालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानान्तरित करके हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुच्च आंकित कॉलम-4 में

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थान पर तैनात किया जाता है।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री अनुराध भण्डारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, अधिकांसी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकांसी अभियंता।	लौ.नि.वि., देहरादून।	खण्ड, ऊड़की।

2. सम्बन्धित अधिकांसी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकांसी स्थानान्तरित अधिकांसी को तत्काल कार्यभार संभाल करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कार्याधिकारी/कार्याधिकारी, देहरादून को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

संख्या 1198/III(1)/14-46(अध0)/09, टी.सी. तद्विनोक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कार्याधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिकांसी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकांसी (नाम से)।
8. गाई काईल।

(अरविन्द सिंह हथौकी)  
अपर सचिव।

(निम्नलिखित मोहन आर्य)  
संयुक्त सचिव।

8/3/06/14  
Suk

15/58(24)  
14/06/14

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री जे.सी.पन्नाला सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड काशीपुर	प्रान्तीय खण्ड, डी.डी.हाट

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कौषाधिकारी/कौषाधिकारी, काशीपुर को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासंभव योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

संख्या: 158(24)/III(1)/14-46(आशु)/09, टी.सी. तद्विनांक  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-  
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।  
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कौषाधिकारी।  
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।  
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।  
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।  
8. गाई फाईल।

(अरविन्द सिंह हथौकी)  
अपर सचिव।

(ललित मोहन आर्य)  
संयुक्त सचिव।